कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल

E-mail Id :- eepwddugadda@rediffmail.com
eepwdcddugadda@gmail.com

Phone & Fax No :-01382-251221

पत्रांक 4282 / 5 सी0 दिनांक 22/09/21

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाईगर रिर्जव
5/1 अंसारी मार्ग
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी पर 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 सेतु निर्माण कार्य हेतु 0.51 हे0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No FP/UK/ROAD/ 44583/2020)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्राक–8वी0/यू0सी0पी0/06/159/2020/एफ0सी0/2529 दि0 26/3/21

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी पर 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 सेतु निर्माण हेतु 0.51 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संदर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार किया जा रहा है :–

1– वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी (प्रमाण–पत्र संलग्न)।

2– परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी (आवश्यकता नहीं है)।

3– प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु (वित्तीय वर्ष 2021–2022 की दर से) रू0 3,43,928.00 की धनराशि का भुगतान कैम्पा कोष में आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नं0–SBIN521261693537 दिनांक 18/9/2021 द्वारा जमा करा दिया गया है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।

4– प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भ रू0 3,43,928.00 की लागत आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नं0–SBIN521261693537 दिनांक 18/9/2021 द्वारा परियोजना प्राधिकरण में अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गई है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित करने हेतु भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जाने हेतु विभाग को कोई आपत्ति नहीं है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।

Scanned with OKEN Scanner

5– शुद्ध वर्तमान मूल्य

क माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0– 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 5/2/2009 के तहत दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)की निर्धारित ईको –क्लास श्रेणी–द्वितीय के मूल्यांकन पर धनराशि रू0 22,33,800.00 मात्र का भुगतान आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नं0– SBIN521261693537 दिनांक 18/9/2021 द्वारा कैम्पा कोष में जमा करा दिया गया है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।

ख याचक विभाग द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होती है तो इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

6– विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। (संलग्न)।

7– Details of Density and Eco-Class found different in para 4 part II and NPV sheet. DFO had verified the density and Eco class and accordingly NPV had been Deposited.

8– परियोजना के तहत् प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्राधिकारण फंड मे स्थानानान्तरित/जमा करा दिया गया है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।

9– गाईड लाईन मे दिये गये दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही गतिमान है (प्रमाण पत्र संलग्न)।

10– एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा (संलग्न)।

11– प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी0 मानदंड़ो के अनुसार सड़क के दोनो किनारो पर पौधो की संख्या बढाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

12– संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे (प्रमाण पत्र संलग्न)।

13– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

14– केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

Scanned with OKEN Scanner

15– वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

16– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन किया जाएगा (संलग्न)।

17– सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमाकंन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

18– परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

19– वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

20– केन्द्र सरकार की पूवानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसी या विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

21– इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दि0–29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होने पर प्रयोक्ता अभिकरण को कोई आपत्ति नही होगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

22– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मे समय–समय पर निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

23– प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वाविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा। कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

24– यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयाक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

25– अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://forestclearance.nic.in) पर अपलोड कर दी गई है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(निर्भय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल

पत्रांक 1282 / 15 सी0 दिनांक 27/09/17

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(निर्भय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल

Scanned with OKEN Scanner